

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या :29/2021

तारीख दायर : 04.03.2021

अनवान

मोडा पिता किशना जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.

बनाम

..... प्रार्थी

01. हरिशंकर पिता उदा जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.
02. मोहन पिता रघुनाथ जाति दरोगा जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.
03. भवाना पिता धन्ना जाती माली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज.
04. सुरजमल पिता सोहन जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी महुआ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज.

..... विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

— : आदेश : —

दिनांक 30/11/2021

प्रार्थना पत्र मोडा पिता किशना जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज. ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम लाल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्दी तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 127 पर अंकित आराजी सं. 317 रकबा 0.2914, आराजी सं. 318 रकबा 0.5504, आराजी सं. 342 रकबा 0.2833, आराजी सं. 450/63 रकबा 0.0567, आराजी सं. 450/64 रकबा 0.1862 कुल खसरा 05 रकबा 1.3680 है0 भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान का... में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का जलीन्दी तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 127 पर अंकित आराजी सं. 317 रकबा 0.2914, आराजी सं. 318 रकबा 0.5504, आराजी सं. 342 रकबा 0.2833, आराजी सं. 450/63 रकबा 0.0567, आराजी सं. 450/64 रकबा 0.1862 कुल खसरा 05 रकबा 1.3680 है0 भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू0अ0नि0 बिजौलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



(सीमा तिवाड़ी)  
उपखण्ड अधिकारी  
प्रशासन बिजौलियां अभियान-2021  
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट)  
बिजौलियां (भीलवाडा)